



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 05.06.2022

गैंगस्टर संतोष बाथम के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 55 लाख 11 हजार 680 रुपए की अचल संपत्ति की कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की गई

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा गैंगस्टर संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद नि० 15/232 शक्तिनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 55 लाख 11 हजार 680 रुपए को जब्त/कुर्क किया गया।

संक्षिप्त विवरण- प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट की आख्या दिनांक 26.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि मु०अ०सं० 165/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम में नामित अभियुक्त संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद नि० 15/232 शक्तिनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा संतोष बाथम उपरोक्त के द्वारा कस्बा शुक्लागंज व आसपास के गांवों में सरकारी व किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेना तथा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय की गई जमीन की बिक्री पर धोखाधड़ी व अवैध तरीके से धन कमाने का कार्य किया जाता है। इस संबन्ध में कस्बा शुक्लागंज व आसपास के लोगों ने भी बताया कि अभियुक्त संतोष उपरोक्त द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसको प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेचकर अपराध से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है।

आज दिनांक 05.06.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेश के अनुपालन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशन में वाद संख्या 06/2022 धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट महोदया, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर मय भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त संतोष बाथम उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति कीमत करीब 55,11,680/- रु० को कुर्क/जब्त किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	ग्राम/स्थान का नाम	गाटा संख्या	खातेदार के हिस्से का क्षेत्रफल	भूमि की मालियत	भूमि को क्रय करने का दिनांक
1.	ग्राम खैरहा एहतमाली तहसील सदर उन्नाव	188ग, 387घ, 388 ख	0.1512 हेक्टेयर	7,86,240/- रु०	23.05.2018
2.	ग्राम देवाराखुर्द तहसील सदर उन्नाव	48,49	1181.36 वर्ग मीटर	47,25,440/- रु०	18.11.2020

उक्त कुल अचल सम्पत्ति की मालियत – 55,11,680/- रु० है।



(आवश्यक सूचना)
 थाना कोतवाली गंगाघाट जनपद उन्नाव के मु०अ०सं० 165/21 धारा 2/3 यू०पी० रजिस्ट्रार एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष बायम पुत्र जगदीश प्रसाद नि० 15/232 शक्तिनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव की अचल सम्पत्ति - ग्राम देवारा खुर्द तहसील सदर उन्नाव गाटा संख्या- 48 , 49 क्षेत्रफल 1181.36 वर्ग मी० को न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय उन्नाव के आदेश दिनांकित 02/06/2022 वाद संख्या- 06/22 कम्यूटीकृत वाद संख्या-D202210690002625 सरकार बनाम संतोष बायम अंतर्गत धारा 14(1) यू०पी० रजिस्ट्रार एक्ट में कुर्फ/जव्त की जाती है। इस सम्पत्ति को क्रय और विक्रय करना कानूनी रूप से दण्डनीय है।
 (आदेशानुसार- जिला मजिस्ट्रेट महोदय उन्नाव)





उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 05.06.2022

गैंगस्टर एक्ट में वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 29.01.2022 को थाना स्थानीय पर मुखबिर खास से सूचना मिली की खपुरा मुस्लिम गांव के पीछे जंगल में कुछ लोग गाय काट रहे हैं । जिस सूचना पर विश्वास करके मैं प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल के साथ तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1-तहब्बुल पुत्र गुलाम जलानी 2-फुरकान पुत्र रफी अहमद 3-इरशाद पुत्र शाहिद नि०गण खपुरा मुस्लिम थाना हसनगंज उन्नाव गिरफ्तार किया गया था । जिसके पास से गौमांस के टुकड़े बरामद हुए थे। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के खिलाफ मु०अ०सं०-22/2022 धारा 3/5/8 गोबध नि० अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। वर्तमान समय में तीनों अभियुक्त जमानत पर रिहा हुए थे । श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार तीनों अभियुक्तों के मु०अ०सं०-199/2022 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 05.06.2022 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1-तहब्बुल पुत्र गुलाम जलानी 2-फुरकान पुत्र रफी अहमद 3-इरशाद पुत्र शाहिद नि०गण खपुरा मुस्लिम थाना हसनगंज उन्नाव को प्र०नि० अखिलेश चन्द्र पाण्डेय व उ०नि० प्रेम नरायण सरोज मय हमराह फोर्स द्वारा पुछड़ा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।



नाम पता अभियुक्तगण-

- 1-तहब्बुल पुत्र गुलाम जलानी
- 2-फुरकान पुत्र रफी अहमद
- 3-इरशाद पुत्र शाहिद नि०गण खपुरा मुस्लिम थाना हसनगंज उन्नाव

थाना हसनगंज पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० श्री सुधाकर सिंह थाना
2. का० प्रमोद राघव थाना हसनगंज उन्नाव ।
3. का० राजेश कुमार थाना हसनगंज उन्नाव ।
4. का० देवांश कुमार थाना हसनगंज उन्नाव



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 05.06.2022

चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा 79 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 05.06.2022 को उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर खास सूचना पर मियांगंज रोड शारदा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र अचल सिंह निवासी ग्राम अटवा मुहाल ओसिया थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 28 वर्ष को 79 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/2022 धारा 18/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया ।



नाम पता अभियुक्त-

1-निर्मल सिंह पुत्र अचल सिंह निवासी ग्राम अटवा मुहाल ओसिया थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 28 वर्ष

बरामदगी-

79 ग्राम चरस

थाना सफीपुर पुलिस टीम-

उ0नि0 सुशील कुमार

हे0का0 सौरभ मिश्रा

का0 संजय कुमार

का0 अक्षय कुमार



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 05.06.2022

जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 05.06.2022 को उ0नि0 राम औतार मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर खास सूचना पर जिलाबदर अपराधी कमलेश पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम पीखी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष जो वाद संख्या 326/2022 दिनांक 24.05.2022 से जिलाबदर था, जो ग्राम पीखी मदरसा स्कूल के पास मौजूद मिला, जो कि जिलाबदर के आदेश का उल्लघन है, उक्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/22 धारा 10 यू0पी0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया ।



नाम पता अभियुक्त-

1- कमलेश पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम पीखी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

थाना सफीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राम औतार
2. हे0का0 सत्येन्द्र सिंह
3. हे0का0 ईश्वरदयाल
4. का0 ओमनरायन